

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक— पि०व०/ज०क०टा०छा०/नि०प्र०सं०-38-02/2020(खण्ड-1)– 75.3.20.

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक— 10/09/2025

विषय:— वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों के संधारणार्थ कुल राशि रु० 3,54,66,920/- (रु० तीन करोड़ चौवन लाख छियासठ हजार नौ सौ बीस) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों के संधारणार्थ संलग्न विवरणी के अनुसार कुल राशि रु० 3,54,66,920/- (रु० तीन करोड़ चौवन लाख छियासठ हजार नौ सौ बीस) मात्र आवंटित की जाती है।

2—कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03— पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277—शिक्षा, उप शीर्ष 0002—छात्रावासों का संधारण, विषय शीर्ष, 13.01—कार्यालय व्यय, 13.04 विद्युत प्रभार 21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ एवं 28.02—संविदा सेवाएँ विपत्र कोड सं०-11-2225-03-277-0002 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3— इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। निकासी की गई राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र राशि व्यय होने के पश्चात् विभाग को भेजेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4— राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक—2561, दिनांक—17.04.1998 तथा समय—समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक व्यय दिनांक—31.03.2026 तक हो सके एवं व्यय की संभावना नहीं रहने पर शेष राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व विभाग को प्रत्यर्पित कर दिया जाय। जिस मद में राशि आवंटित की जा रही है, उसी मद में राशि का व्यय किया जाय। किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा एवं बैंक में संचित नहीं किया जायेगा।

5— प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6—प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7— इसकी सूचना महालेखाकार, पटना को दिया जा रहा है।

अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजिन,

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक— पि०व०/ज०क०टा०छा०/नि०प्र०सं०-38-02/2020(खण्ड-1)– 75. पटना, दिनांक— 10/09/2025
प्रतिलिपि—(1) महालेखाकार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/उप सचिव, (बजट प्रभारी)/अवर सचिव (बजट प्रशाखा)/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई0टी0मैनेजर, (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के संचालन हेतु विभिन्न जिलों को आवंटित राशि की
विवरणी :-

वित्तीय वर्ष 2025-26

विपत्र कोड-11-2225-03-277-0002

(राशि रू० में)

क्र०सं०	जिला का नाम	1301 कार्यालय व्यय	1304 विद्युत प्रभार	2101 सामग्री एवं पूर्तियाँ	2802 संविदा सेवा	योग
1	2	3		4		5
1	अररिया	20000	65000	500000	348340	933340
2	अरवल	20000	65000	500000	348340	933340
3	औरंगाबाद	20000	65000	500000	348340	933340
4	कटिहार	20000	65000	500000	348340	933340
5	कैमूर	20000	65000	500000	348340	933340
6	किशनगंज	20000	65000	500000	348340	933340
7	गया	20000	65000	500000	348340	933340
8	गोपालगंज	20000	65000	500000	348340	933340
9	जमुई	20000	65000	500000	348340	933340
10	जहानाबाद	20000	65000	500000	348340	933340
11	नालंदा	20000	65000	500000	348340	933340
12	पुर्णियाँ	20000	65000	500000	348340	933340
13	पूर्वी चंपारण	20000	65000	500000	348340	933340
14	पश्चिम चंपारण	20000	65000	500000	348340	933340
15	बक्सर	20000	65000	500000	348340	933340
16	बेगूसराय	20000	65000	500000	348340	933340
17	बाँका	20000	65000	500000	348340	933340
18	भागलपुर	20000	65000	500000	348340	933340
19	मुंगेर	20000	65000	500000	348340	933340
20	मधेपुरा	20000	65000	500000	348340	933340
21	मधुबनी	20000	65000	500000	348340	933340
22	शेखपुरा	20000	65000	500000	348340	933340
23	सुपौल	20000	65000	500000	348340	933340
24	सहरसा	20000	65000	500000	348340	933340
25	सारण	20000	65000	500000	348340	933340
26	सीतामढ़ी	20000	65000	500000	348340	933340
27	रोहतास	20000	65000	500000	348340	933340
28	मुजफ्फरपुर	20000	65000	500000	348340	933340
29	भोजपुर	20000	65000	500000	348340	933340
30	पटना	20000	65000	500000	348340	933340

31	नवादा	20000	65000	500000	348340	933340
32	वैशाली	20000	65000	500000	348340	933340
33	समस्तीपुर	20000	65000	500000	348340	933340
34	लखीसराय	20000	65000	500000	348340	933340
35	दरभंगा	20000	65000	500000	348340	933340
36	शिवहर	20000	65000	500000	348340	933340
37	सीवान	20000	65000	500000	348340	933340
38	खगडिया	20000	65000	500000	348340	933340
	कुल योग-	760000	2470000	19000000	13236920	35466920

(रु० तीन करोड़ चौवन लाख छियासठ हजार नौ सौ बीस) मात्र

पत्रांक- 75. दिनांक- 10/09/2025

का अनुलग्नक

सरकार के अपर सचिव